



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाइट : www.bsea.bihar.gov.in, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि. प्रा. / नि. 1-07 / 2021
प्रेषक,

117

/पटना, दिनांक

13/01/2023

पुरुषोत्तम पासवान,
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी –सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.),
मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, औरंगाबाद, दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी एवं समस्तीपुर।
उप विकास आयुक्त –सह- नोडल पदाधिकारी (स. स.),
मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, औरंगाबाद, दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी एवं समस्तीपुर।
प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.),
(संलग्न सूची के अनुसार)।

विषय : प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का प्रकाशन।

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निर्बंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) एवं अधिसूचना संख्या-6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.) पदनामित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. प्राधिकार बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्वाचन प्रस्ताव के आलोक में उन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों का निर्वाचन कराना चाहता है, जो अधिक्रमित हैं या जिनका निर्वाचन देय है। इन समितियों की सूची अनुलग्नक-1 पर दी गई है।

4. प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों की उपविधियाँ के नियम-9 से 12 तक में उन योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का उल्लेख है, जिनके आधार पर कोई व्यक्ति समिति का सदस्य बन सकता है या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। संबंधित दुग्ध उत्पादक संघ के प्रबंध निदेशक या उनके प्रतिनिधि संबंधित समिति से सम्पर्क स्थापित कर उसकी उपविधियाँ की एक प्रति संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को तुरंत उपलब्ध करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी –सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से भी संबंधित समिति की उपविधियाँ स्थानीय स्तर से प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे।

5. इन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों की मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वाचन के उद्देश्य से प्राधिकार ने दिनांक 31.12.2022 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। केवल वैसे व्यक्ति, जो दिनांक 31.12.2022 तक समिति की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे।

6. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

i) सूची में अंकित दुग्ध उत्पादक समिति प्रपत्र-एम 1 में तीन प्रतियों में प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर अपने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक को समर्पित करेंगे। ज्ञातव्य है कि प्राधिकार के पत्रांक 131 दिनांक 15.01.2019 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में संबंधित दुग्ध समिति ने पूर्व में अपनी प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित तथा पर्यवेक्षकीय कर्मी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सूची तैयार की होगी। प्रबंधकारिणी समिति की उक्त बैठक के बाद एवं मतदाता सूची की तैयारी के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि के पूर्व, कोई सदस्य बनाए गए हों, या हटाए गए हों या मृत हो गए हों, तो वैसे परिवर्तनों

के आधार पर किये गये संशोधनों को भी उक्त सूची में सम्मिलित किया जाएगा एवं उस पर यथास्थिति समिति के अध्यक्ष/ प्रशासक द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर किया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची होगी। अतः उस सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो, तो समिति को एक अलग सूची बनाकर यह स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि नियमावली/ उपविधि के किस प्रावधान के तहत तथा किस प्रक्रिया को अपनाकर सदस्यता समाप्त की गयी है। दुर्घ संघ के प्रबंध निदेशक इस सूची पर विशेष ध्यान देंगे। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि सदस्य की अगर कोई अयोग्यता हो तो उसका उल्लेख प्रपत्र— एम 1 के स्तंभ— 5 में निश्चित रूप से कर दिया जाए। समिति का यह भी दायित्व होगा कि कट—आफ तिथि तक वैध रूप से सदस्य बनाए गए सभी व्यक्तियों का नाम प्रपत्र— एम 1 में अवश्य सम्मिलित रहे। समिति के स्तर पर तैयार की गई यह प्रारूप मतदाता सूची संबंधित दुर्घ संघ के प्रबंध निदेशक को दिनांक 19.01.2023 तक निश्चित रूप से प्रारूप मतदाता सूची संबंधित दुर्घ संघ के प्रबंध निदेशक को उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर कोई समिति उक्त तिथि तक प्रारूप मतदाता सूची प्रबंध निदेशक को समर्पित करने में विफल रहती है तो यह प्रबंध निदेशक का दायित्व होगा कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर समिति की प्रारूप मतदाता सूची अपनी देख—रेख में तैयार कराएँ।

ii) समिति द्वारा समर्पित प्रारूप मतदाता सूची की प्रमाणिकता की जाँच संबंधित प्रबंध निदेशक द्वारा आव यक रूप से की जाएगी। प्रबंध निदेशक प्राप्त अभिलेख एवं समिति के अभिलेख यथा— सदस्यता बही, सभा बही, कैशबुक आदि तथा अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधनों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची में सुधार करने के लिए प्राधिकृत किये जा रहे हैं। उनके द्वारा जो भी सुधार किया जाएगा, उसके संबंध में स्पष्ट कारण भी अंकित किया जाएगा। जाँचोपरान्त एवं संशोधनोपरान्त (अगर कोई हो) मतदाता सूची दिनांक 21.01.2023 तक संबंधित समिति के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जायेगा। प्रबंध निदेशक की जिम्मेवारी होगी कि प्रारूप मतदाता सूची में दी गई सूचनाएँ सही हैं तथा कट—आफ तिथि तक सभी वैध संदर्भों का नाम मतदाता सूची में शामिल रहे। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गई है। अतः प्रबंध निदेशक का यह भी दायित्व होगा कि उक्त सूची से यदि किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो तो वे यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि अधिनियम/ नियमावली/ उपविधि के प्रावधनों के तहत प्रक्रिया अपनाकर ही सदस्यता समाप्त की गई हो। निर्वाचन की पिछली मतदाता सूची से जिनका नाम समिति ने हटा दिया है और समिति द्वारा कंडिका— 6 (i) के अनुसार दी गयी सूची में सही प्रक्रिया के तहत नाम नहीं हटाया गया हो तो प्रबंध निदेशक उसकी मान्यता नहीं देंगे और तदनुसार सूची में सुधार करेंगे।

iii) संबंधित दुर्घ उत्पादक संघ द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित प्रारूप मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी इस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना प्रपत्र—एम 2 में निर्गत की जाएगी।

7. उक्त दुर्घ समितियों की मतदाता सूची की तैयारी हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
i	प्राथमिक दुर्घ उत्पादक समिति द्वारा प्रपत्र—एम 1 में सदस्यता सूची दुर्घ संघ के प्रबंध निदेशक को उपलब्ध कराना	19.01.2023
ii	दुर्घ संघ द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	21.01.2023
iii	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन	23.01.2023
iv	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	23.01.2023
v	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	23.01.2023 से 02.02.2023 तक
vi	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	04.02.2023

8. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :-

- (क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।
- (ख) प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति के कार्यालय के सूचना पट पर।
- (ग) संबंधित दुग्ध उत्पादक संघ के कार्यालय के सूचना पट पर।

9. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने—अपने प्रखंड में अवस्थित समितियों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) दिनांक 23.01.2023 को निम्नरूप से किया जायेगा :—

Step -1 लॉगिन करने हेतु निर्देश

निर्वाचन पदाधिकारी अपने कम्प्यूटर के किसी इंटरनेट ब्राउजर पर प्राधिकार का वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> टाइप कर खोलेंगे। वेबपेज के दांये ऊपर लॉगिन पर क्लिक करें। प्राधिकार द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये अपने यूजरनेम तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।

Step -2 प्रारूप मतदाता सूची संबंधी सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निर्देश

लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर “समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम” पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने “View” पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित “प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं” में हाँ अथवा नहीं का चयन कर सबमिट करेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने—अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर “मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं” पर क्लिक कर देख सकेंगे। संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समिति की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्रबंध निदेशक को दिनांक 24.01.2023 तक उपलब्ध करा दी जायेगी। प्रबंध निदेशक द्वारा उक्त सूचनाओं को समेकित कर प्राधिकार के ई—मेल bseapatna@gmail.com पर दिनांक 25.01.2023 तक भेज दिया जायेगा।

अतएव संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रारूप प्रकाशन की स्थिति/ सूचना को ससमय प्राधिकार के वेबसाइट पर प्रविष्टि करायें, ताकि निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रक्रमों का अनुश्रवण (Monitoring) किया जा सके।

10. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी सदस्य का नाम जोड़ने से संबंधित दावा प्रपत्र—एम 3 में तथा मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति प्रपत्र—एम 4 में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दी जायेगी, जो संबंधित दुग्ध उत्पादक समिति के सदस्य हैं। बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी। सादे कागज पर दी गई आपत्तियाँ स्वीकार्य नहीं होंगी।

11. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

12. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्रों में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उपं निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति—पत्र पर ही मुखर आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची से यदि किसी मतदाता का नाम समिति ने हटा दिया हो तो मांगे जाने पर समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि सहकारिता अधिनियम/ नियमावली के विहित प्रावधानों का पालन करते हुए ही नाम हटाया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी इस विषय पर प्रबंध निदेशक से तकनीकी परामर्श ले सकते हैं। इसी तरह जिनका नाम पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में नहीं था परन्तु नाम जोड़ने का दावा कर रहे हों तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में नाम समिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क प्रमाण—पत्र/ शेयर प्रमाण—पत्र/ मिल्क यूनियन द्वारा निर्गत फोटो प्रमाण—पत्र/ फोटोयुक्त प्रोक्योरमेंट चार्ट की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की माग आवश्यक रूप से

की जाएगी। साथ ही साथ आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/अभिलेख की मांग की जा सकती है।

13. आपत्तियों का निष्पादन करने में अपनी सहायता हेतु निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित संघ से आवश्यकतानुसार एक या अधिकतम दो कर्मियों, जो प्राप्तन सहायक (Procurement Assistant) या रूट इंचार्ज (Route Incharge) या दुर्घ संग्रहण पदाधिकारी या कैम्प प्रभारी हो सकते हैं, की प्रतिनियुक्त अपने यहाँ करेंगे। ये पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी के साथ संबद्ध रहेंगे एवं वैसे संगत अभिलेख/ कागजात आदि समिति से प्राप्त कर निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो उनके द्वारा आपत्तियों/ दावों के निष्पादन हेतु आवश्यक समझा जाय। स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी केवल निर्वाचन पदाधिकारी के सहायतार्थ होंगे एवं किसी भी समय उनकी भूमिका उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नहीं होगी।

14. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें प्रपत्र-एम 5 में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन-सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन प्रपत्र-एम 6 में किया जायेगा।

15. संबंधित दुर्घ उत्पादक समिति की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है, एवं इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्टि शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

16. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी –सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित दुर्घ उत्पादक संघ द्वारा प्रपत्र-एम 1 में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करेंगे, एवं एक प्रति का उपयोग मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

17. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ. प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए; एक प्रति दुर्घ उत्पादक समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए एवं एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति दुर्घ उत्पादक संघ के प्रबंध निदेशक को उपलब्ध करा दी जायेगी। जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹ 1.50/- प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।

18. निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पूर्व प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। अतएव संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुनः प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना दिनांक 04.02.2023 को निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) करेंगे :—

Step -1- मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित सूचनाओं को प्रविष्टि करने हेतु निर्देश :-

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर “समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम” पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने “View” पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित “अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं” में हाँ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।

दिनांक 06.02.2023 के पूर्वानु तक निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र—एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन की एक प्रति प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से संबंधित प्रबंध निदेशक को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। प्रबंध निदेशक प्रपत्र—एम 7 में ही सभी निर्वाचन पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों को समेकित कर उसी प्रपत्र में फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) या विशेष द्वारा द्वारा दिनांक 08.02.2023 तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।

19. कोविड-19 का संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी दावा/आपत्तियों का निष्पादन करते समय कोविड-19 संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि दावा/आपत्ति दायर करने तथा सुनवाई के समय भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि दावा/आपत्तियों के निष्पादन हेतु सुनवाई के लिए निर्धारित अवधि के अन्दर अलग-अलग दावों के लिए अलग-अलग समय का निर्धारण किया जाय। यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय कि दावा/आपत्ति दायर करने तथा उनपर सुनवाई के समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति की सूची।

(पुरुषोत्तम पासिवान)
सचिव।

ज्ञापांक : 117

/पटना, दिनांक 13/01/2023

प्रतिलिपि— प्रबंध निदेशक, कम्फेड, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., समस्तीपुर डेयरी औद्योगिक क्षेत्र, पो.-हरपुर एलौथ, जिला—समस्तीपुर/ प्रबंध निदेशक, कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, गौरवगढ़, वार्ड नं०-4, किशनपुर रोड, पोस्ट+जिला—सुपोल, पिन नं०-852131/ प्रबंध निदेशक, मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, गया डेयरी, कटारी हील रोड, गया—823001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित संघ के प्रबंध निदेशक निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्तव्यबद्ध (Dutybound) हैं।

3. उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे कट-ऑफ तिथि के आधार पर दुग्ध समिति से निर्धारित तिथि को प्रपत्र—एम १ में सदस्यता सूची प्राप्त करने की व्यवस्था अपने स्तर से भी सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापांक : 117

/पटना, दिनांक 13/01/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक : 117

/पटना, दिनांक 13/01/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक : 117

/पटना, दिनांक 13/01/2023

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/सचिव/ सभी प्रशास्त्र पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्वाचन देय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची:-

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	संबद्ध संघ
1	2	3	4	5
1	मधेपुरा	उदाकिशुनगंज	गौरपार दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
2	सहरसा	सोनबर्जा	बसबिही दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
3	सहरसा	सौर बाजार	कबैला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
4	सुपौल	निर्मली	हरियाही महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
5	सहरसा	सौर बाजार	गढ़िया दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
6	सुपौल	सुपौल	बकौर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	कोशी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
7	औरंगाबाद	गोह	कैथीबेनी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
8	औरंगाबाद	गोह	चमनपुरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
9	औरंगाबाद	गोह	डिंगराही दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
10	औरंगाबाद	गोह	दादर दुग्ध उत्पादक सहयोग samiti	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
11	औरंगाबाद	गोह	नीमा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
12	औरंगाबाद	गोह	पहरपुरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
13	औरंगाबाद	गोह	हसनपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति	मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
14	दरभंगा	कुशोश्वरस्थान पूर्वी	ब्रह्मोत्तर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
15	दरभंगा	केवटी	क्यामचक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
16	दरभंगा	केवटी	माधोपट्टी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
17	दरभंगा	दरभंगा	महुआ दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
18	दरभंगा	बहादुरपुर	कुशोथर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	संबद्ध संघ
1	2	3	4	5
19	दरभंगा	बहादुरपुर	गोढ़िया घाट दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
20	दरभंगा	बहेड़ी	बिहरौना दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
21	दरभंगा	बहेड़ी	भंगही दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
22	दरभंगा	बहेड़ी	महुआ दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
23	दरभंगा	मनीगाढ़ी	कटमा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
24	दरभंगा	मनीगाढ़ी	फुलवन दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
25	दरभंगा	हनुमान नगर	तेनुआ दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
26	दरभंगा	हनुमान नगर	हूसैनाबाद दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
27	दरभंगा	हायाघाट	पौराम दक्षिणी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
28	बेगूसराय	छौड़ाही	सिहमा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
29	मधुबनी	खजौली	मदाना दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
30	मधुबनी	बिस्फी	खंगरैठा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
31	मधुबनी	लखनौर	खेरी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
32	समस्तीपुर	उजियारपुर	चकनिजाम दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
33	समस्तीपुर	कल्याणपुर	अकबरपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
34	समस्तीपुर	कल्याणपुर	कल्याणपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
35	समस्तीपुर	कल्याणपुर	चांधरपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
36	समस्तीपुर	कल्याणपुर	जटमलपुरतीरा दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
37	समस्तीपुर	कल्याणपुर	नामापुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
38	समस्तीपुर	कल्याणपुर	नीमा चकहैदर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	समिति का नाम	संबद्ध संघ
1	2	3	4	5
139	समस्तीपुर	हसनपुर	मालदह दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
140	समस्तीपुर	हसनपुर	मौजी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
141	समस्तीपुर	हसनपुर	रामपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
142	समस्तीपुर	हसनपुर	वीरपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
143	समस्तीपुर	हसनपुर	शंकरपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड